न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निशल संख्याः– 27 / 2020 निर्णय दिनांक :–17.11.2020

उनवानी अपील :

शांतिप्रकाश जैन पुत्र शिवदास जाति जैन निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज.

–अपीलान्ट–

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत दूनी, जिला टोंक

–रेस्पोडेन्ट–

उपस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अपीलान्टस

एक पक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1

अपील विरूद्ध नामान्तरणकरण स. 329 दिनांक 14–6–1969

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि शिवदास पुत्र मांगीलाल जाति महाजन व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी की आराजियात साबिक ख. नं. 2302 रकबा 1 बीघा 7 बिसवा ख. नं. 3870 रकबा 12 बिसवा. 10 बिसवा, ख. नं. 3876 रकबा 2 बिघा, ख. नं. 3872 रकबा 1 बीघा 3 बिसवा., ख. नं. 3874 रकबा 1 बीघा 10 बिसवा. वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी स्थित थी जिसमे शिवदास का 16 बीघा 9 बिसवा की खातेदारी स्वयं के अकेले के नाम थी तथा ख. नं. 3872 मे 1/2 हिस्सा व ख. नं. 3874 मे 1/2 हिस्सा था ओर उसी हिस्से के अनुसार शिवदास जी मौके पर काबिज था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान के नाम फौती का नामान्तरकरण खौला गया लेकिन नामान्तरकरण खोलते समय वारिसान की जांच नही की गई ओर अपीलान्ट का नाम फौती नामान्तरकरण मे गलती से शांतिलाल पुत्र शिवदास अंकित कर दिया गया जो बिल्कुल गलत है, जिसके विरूद्ध कई कारणो में से कुछ कारणो पर यह अपील निम्न रूप से प्रस्तुत हैः– सरपंच ग्राम पंचायत दूनी द्वारा भरा गया नामान्तरकरण स. 329 दिनांक 14.06.1969 विधि–विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत है इस कारण उक्त नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। शिवदास की मृत्यु के पश्चात जो फौती का नामान्तरकरण सख्या 329 भरा गया उसकी मौके पर जाकर वारिसान के बाबत कोई जांच नही की गयी बल्कि पंचायत मे बैठकर ही उक्त नामान्तकरण भर दिया गया अपीलान्ट का वास्तविक नाम शांतिप्रकाश जैन है लेकिन उक्त नामान्तरकरण मे शांतिलाल अकिंत कर दिया गया है जो बिल्कुल

गलत है। अपीलान्ट के जितने भी सरकारी दस्तावेजात है उसमे अपील
स शांतिप्रकाश जैन पुत्र शिवदास जैन अकिंत है इस कारण
नामान्तरकरण को रिमाण्ड किया जाना और पुनः सुनवाई व जाचं कर पु
जाना न्यायहित मे आवश्यक है, अन्य वारिसान का नाम सही रूप से
किया गया है। अपीलान्ट लगभग 15 दिन पूर्व अपनी खातेदारी की ज
लेकर बैंक मे के.सी.सी. बनवाने के लिए गया तब बैंक अधिकारियो द्वारा
गया कि आपके सरकारी रिकॉर्ड मे शांतिप्रकाश है ओर इस जमाब
शांतिलाल अंकित है इस कारण हम आपको के.सी.सी. ऋण नही दे
अपीलान्ट को जमाबन्दी मे शांतिलाल नाम अंकित होने की जानका
अधिकारियो द्वारा बताए जाने पर हुई जिस पर अपीलान्ट ने दिनाक 5.2.2
नकल का प्रार्थनापत्र लगाया जहां से नकल दिनांक 7.2.2020 को प्राप्त ह
गलत होने की जानकारी से यह अपील बिना किसी विलम्ब के श्रीमान क
पेश की जा रही हे फिर भी माननीय न्यायलय उक्त अपील को पेश क
विलम्ब को क्षमा करने हेतु मियाद अ. धारा 5 का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र
से प्रस्तुत हे। यहकि अपीलान्ट का राजस्व रिकोर्ड मे शांतिलाल नाम अवि
के कारण अपीलान्ट को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जारी योजन
कोई लाभ नही मिल रहा हे। अपीलान्ट अति वृद्व व्यक्ति है। इस कारण
योजनाओ का लाभ लेना उसके लिए
बहुत आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी क
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नियत तारीख पेशी में अनुपस्थित रहने से रेस्पो
विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट से बहस सुनी।

बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए
किया कि अपीलान्ट को अब तक उक्त आराजी में कब्जेकाश्त व
उपभोग कर रहा है परन्तु जब अपीलान्ट बैंक में के. सी. सी लेने गय
अपीलान्ट को पता लगा कि अपीलान्ट को नाम शान्ति प्रकाश पुत्र शिवद
स्थान पर शान्ति लाल पुत्र शिवदास अंकित कर बदया गया। जिस सम
नामान्तकरण भरा गया उस समय वादी नासमझ था और पंचायत प्रशा
अपीलान्ट का नाम शान्ति प्रकाश पुत्र शिवदास के स्थान पर शान्ति ला
शिवदास के नाम नामान्तकरण खोल दिया। अपीलान्ट को अब तक
आराजी के सम्बन्ध में कोई परेशानी नहीं आई थी परन्तु अब परेशानी अ

D.

यह अपील पेश की है। अपीलान्ट को अब तक कोई परेशानी नहीं होने से अपील पेश नहीं की गई थी। परन्तु देरी के लिए धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे कन्डोन किया जावे और अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 329 दिनांक 14.06.1969 को निरस्त कर रिमाण्ड कर पुनः नामान्तकरण भरने हेतु आदेशित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन कर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तकरण पंजिका ग्रम दूनी नामान्तकरण संख्या 329 दिनांक 14.06.19698 के कॉलम संख्या 16 में शान्ति लाल पुत्र श्योदास अंकित है। ससे जमाबन्दी सम्वत 2025 तक के कॉलम संख्य 5 में शान्तिलाल पि. सोदास दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2070–7 के खाता संख्या 612 में भी शान्तीलाल पि. श्योदयाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं पत्रावली पर उपलब्ध सरकारी दस्तावेज की छायाप्रतियां आधार कार्ड, पहचा पत्र दिनांक 18.06.1995, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड व बैंक डायरी शान्ति प्रकाश जैन पिता का नाम शिवदास जैन अंकित हो रखा है। उक्त स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण बिना सही नामों की जांच किये भरकर प किया गया है जो कानून सम्मत नहीं है और जिसके कारण अपीलान्ट अप आराजी में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा हैं। अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार योग्य है। उक्त बहस, दस्तावेजो से यह तथ्य सामने आते है ग्राम पंचायत दूनी द्वारा भरे गये नामान्तकरण की जांच की जाकर न नामान्तकरण तस्दीक करना आवश्यक है। अत ग्राम पंचायत दूनी द्वारा तस्व किये गये नामान्तकरण, सं0 329 दि. 14.06.1969 को निरस्त किया जाता है त तहसीलदार दूनी को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कि जाता है कि उक्त नामान्तकरण में नामों की सही जांच कर नामान्तकरण तस कर रिपोर्ट 15 दिवस में न्यायालय को प्रेषित करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकार
देवली